यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिसर्व प्रभाग, लैन्सडाउन** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिसर्व प्रभाग, लैन्सडाउन** के माह 01/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीणा ले0प0 एवं श्री ए.के.गुप्ता, श्री अंशुमन आग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.08.17 से 31.08.17 तक श्री पी.के.गुप्ता वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा दीपेश कुमार स.ले.प.अ द्वारा दिनांक 18.01.2016 से 29.01.2016 तक श्री डी.एन. मिश्रा लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2013 से 12/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2013 से 12/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 01/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 01/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कालागढ़ टाइगर रिसर्व प्रभाग लैन्सडाउन।

(ii) (अ) राजस्व का विवरणः विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है : (ii) (ब)

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	2.77
2015-16	6.62
2016-17	11.09

(ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना** (रू लाख में)		**गैर स्थापना** (रू लाख में)	
	स्थापना (₹)	**गैर स्थापना (₹)**	**आवंटन (₹)**	**व्यय (₹)**	**आवंटन (₹)**	**व्यय (₹)**
2014-15	---	---	442.94	442.94	285.205	285.205
2015-16	----	----	496.45	496.45	272.29	272.29
2016-17	-----	-----	538.09	538.09	413.72	408.74

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ₹**	**प्राप्त** (रू लाख में)	**व्यय** (रू लाख में)
2014-15	प्रोजेक्ट टाइगर	-	335.34	335.34
2015-16	इण्टेसिफिकेशन आफ फायर मैनेजमैंट	-	2.27	2.27
2016-17	हाथी परियोजना	-	17.50	17.50

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः** सचिव वन विभाग> अपर सचिव> प्रमुख वन संरक्षक> मुख्य संरक्षक >वन संरक्षक > प्रभार वनाधिकारी> सहायक वन संरक्षक

(V) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैंसडाउन** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैंसडाउन** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन** :-

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो शून्य

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....---------- .... के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर- 1 राजस्व बकाया के वसूली की कार्यवाही लंबित रहना ₹27.91 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडोन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के राजस्व बकाया के रूप में ₹27,91,498.10 अवशेष दर्शाया गया था। जिसमें से ₹2753484.10 वन निगम पर, ₹2935 जमानत के रूप में तथा ₹35079 अन्य औद्योगिक इकाइयों पर था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि वन निगम पर बकाया के संबंध में वर्ष 2002-03 में भी लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लगायी गयी थी। लेखापरीक्षा द्वरा आपत्ति लगाए जाने के बाद से ही वन निगम से वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है। बकाया वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उक्त बकाया ₹27.91 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर- 2 रॉयल्टी जमा न किया जाना ₹5.78 लाख।

उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति विषयक उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करते हुये उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–2 के पत्र संख्याः 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18 जनवरी 2013 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स बजरी/ गिटटी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू आदि उठाने पर ₹90.00 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी जमा करने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडोन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रभाग के विभिन्न राजियों के द्वारा सम्पादित कार्यो में रेंता/बजरी/पत्थरों का उपयोग नजदीकी स्थान से चुगान कराकर किया गया था तथा इसके सापेक्ष प्राकल्लन में ₹5,78,133 की रायल्टी कम करते हुए कार्य को अनुमोदित किया गया था परन्तु काटी गयीं रायल्टी जमा नही की गयी थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि रॉयल्टी जमा नहीं की गयी है रॉयल्टी की धनराशि को उसी प्राक्कलन में कम किया गया है क्योंकि प्राक्कलन अधिक धनराशि का था और स्वीकृति धनराशि कम थी। इस प्रकार आर्थिक क्षति शून्य है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रॉयल्टी की धनराशि को खनन विभाग के मुख्य लेखा शीर्ष 0853 में जमा किया जाना था।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर- 3 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹44.37 लाख के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 43 (ग) के अनुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडोन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹44,37,000 की लागत के निर्माण कार्य (सूची संलग्न) बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के पूर्ण करा दिये गए तथा संप्रेक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक प्रभाग को उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि स्वीकृति प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनराशि(₹)
1.	मंदाल कक्ष. 3 चौड़्यू में वॉटर होल मरम्मत	25000
2.	मैदावन लोहाचौड मोटर मार्ग वार्षिक मरम्मत, डाडा पानी डेरियाखाल 3.50	76000
3.	गढ़वाल चौकी वन मोटर मार्ग वार्षिक मरम्मत, मुड़ियापानी डबरू मोटर मार्ग मरम्मत	75000
4.	प्रभागीय वनाधिकारी आउट हाउस अर्दली आवास मरम्मत	127000
5.	पलेन रेंज में टी ओ क्वार्टर लिपिक वर्गीय आवास मरम्मत	200000
6.	हलदूपड़ाव से चौखम पैदल बटिया मार्ग मरम्मत	280000
7.	लैंसडोन प्रधान कार्यालय स्थित लिपिक वर्गीय आवास मरम्मत, गांधी चौक स्थित लिपिक वर्गीय आवास मरम्मत	200000
8.	रथुआढाब सेक्शन अधिकारी आवास मरम्मत	85000
9.	हलदूपड़ाव वॉच टावर मरम्मत	16000
10.	पाखरों कक्ष 8 में पक्का वॉटर होल मरम्मत	25000
11.	बिलासू चौकसेरा वन मोटर मार्ग मरम्मत 3.50 किमी, हलदू पड़ाव मंदाल्टी वन मोटर मार्ग मरम्मत	850000
12.	कंडीखाल वाच टावर मरम्मत	89000
13.	पाखरों वन मोटर मार्ग वार्षिक मरम्मत	101000
14.	हलदूपड़ाव वन विश्राम भवन रंगाई पुताई	113000
15.	कांडा कक्ष 6 में दीवाल निर्माण, कक्ष 16 में दीवाल निर्माण	447000
16.	काण्डा कक्ष 16 में दीवाल निर्माण	286000
17.	काण्डा कक्ष 6 में वन मोटर मार्ग में दीवाल निर्माण	323000
18.	काण्डा कक्ष 16 में दीवाल निर्माण	334000
19.	काण्डा कक्ष 16 में दीवाल निर्माण	152000
20.	लाल दरवाज़ा कक्ष 13 वन मोटर मार्ग में रिटेनिंग वाल	73000
21.	चिपलघट्टी कक्ष 2 में दीवाल निर्माण	96000
22.	चिपलघट्टी कक्ष 3 में चट्टान कटिंग	44000
23.	चिपलघट्टी कक्ष 3 में रिटेनिंग वाल निर्माण	204000
24.	लाल दरवाज़ा खीरखाल वन मोटर मार्ग में वार्षिक मरम्मत	216000
योग		**44,37,000**

प्रस्तर- 4 निरर्थक व्यय ₹11.30 लाख।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते है जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग-अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडोन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में ₹6,30,000 व्यय करके 79 हेक्टेयर (प्रथम वर्ष) भूमि पर लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया गया। वर्ष 2014-15 में ₹5,00,000 व्यय करके 79 हेक्टेयर भूमि (द्वितीय वर्ष) तथा 23 हेक्टेयर भूमि पर (प्रथम वर्ष) में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया गया। वर्ष 2015-16 में 79 हेक्टेयर भूमि पर (तृतीय वर्ष) में तथा 23 हेक्टेयर भूमि पर (द्वितीय वर्ष) में कोई कार्य नहीं किया गया तथा 38 हेक्टेयर भूमि पर लेंटाना उन्मूलन कार्य (प्रथम वर्ष) पर ₹3,00,000 व्यय किया गया तथा वर्ष 2016-17 में 40 हेक्टेयर भूमि पर लेंटाना उन्मूलन कार्य (द्वितीय वर्ष) पर ₹2,00,000 व्यय किया गया। जिसका वर्णन निम्न तालिका में है।

वर्ष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्राप्त भौतिक लक्ष्य
2013-14	630000	630000	79 हेक्टेयर	79 हेक्टेयर क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन कार्य किया गया।
2014-15	500000	500000	79 हेक्टेयर (द्वितीय वर्ष) 23 हेक्टेयर (प्रथम वर्ष)	79 हेक्टेयर (द्वितीय वर्ष) क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन कार्य किया गया। 23 हेक्टेयर (प्रथम वर्ष) क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन कार्य किया गया।
2015-16	300000	300000	38 हेक्टेयर	38 हेक्टेयर (प्रथम वर्ष) क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन कार्य किया गया।
2016-17	200000	200000	40 हेक्टेयर (द्वितीय वर्ष)	40 हेक्टेयर (द्वितीय वर्ष) क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन कार्य किया गया।

वर्ष 2013-14 में ₹6,30,000 व वर्ष 2014-15 में ₹5,00,000 व्यय करने के बाद आगामी वर्षों में द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में लेंटाना उन्मूलन का कार्य नहीं किया गया जिसके परणामस्वरूप ₹11,30,000 का व्यय निरर्थक रहा।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रभाग द्वारा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लेंटाना अनुरक्षण (राजस्व व्यय) हेतु आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष में धनराशि की मांग की गयी है किन्तु विभाग में अनुरक्षण हेतु वर्ष 2015-16 अनुरक्षण की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया।

विभाग द्वारा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य न करने के कारण धनराशि ₹11,30,000 का व्यय निरर्थक रहा। अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर- 5 अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अवशेष जमानत जमा धनराशि जमा न किया जाना ₹0.74 लाख

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडोन के जमानत जमा से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी थी।

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम	पद नाम	निर्धारित धनराशि (₹)	जमा राशि (₹)	अवशेष धनराशि (₹)
1	2	3	4	5	6
1	निर्मल कुमार पाण्डेय	व0क्षे0अ0	20000.00	8000	12000.00
2	धर्मा रावत	वन आरक्षी	2000.00	—	2000.00
3	देवेन्द्र सिंह नेगी	वन दरोगा	4000.00	2000.00	2000.00
4	कु0 नेहा चौधरी	व0क्षे0अ0	20000.00	—	20000.00
5	संदीप गिरी	व0क्षे0अ0	20000.00	—	20000.00
6	कमला देवी	वन आरक्षी	2000.00	—	2000.00
7	धीरज सिंह	वन आरक्षी	2000.00	—	2000.00
8	बृजपाल सिंह रावत	वन आरक्षी	2000.00		2000.00
9	सोहन लाल मैंदोला	वन आरक्षी	2000.00		2000.00
10	दलीप सिंह	वन दरोगा	4000.00	2000.00	2000.00
11	जितेन्द्र सिंह	चालक	2000.00		2000.00
12	सुशीला देवी	चौकीदार	500.00		500.00
13	भुवन चन्द्र आर्य	वन आरक्षी	2000.00	—	2000.00
14	धर्मवीर सिंह	प्रवर सहायक	4000.00	2000.00	2000.00
15	भानू प्रकाश	प्रवर सहायक	1000.00	—	1000.00
				योग	**73,500**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जमानत की धनराशि जमा करने हेतु कर्मचारियों/ अधिकारियों को लिखा जा रहा है। अधिकारियों/ कर्मचारियों से जमानत जमा की बकाया धनराशि जमा कराने के बाद लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर- 6- ₹9.73 लाख के उपकरणों का अनियमित क्रय किया जाना ।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली 2015 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ₹50,000 से अधिक तथा ₹3.00 लाख की लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामाग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। अधिप्राप्ति की नियमावली के नियम 12(1) के अनुसार जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामाग्री का मूल्य ₹60.00 लाख तक हो तो समिति निविदा पृच्छा की विधि अपनायी जाएगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडोन की D-2 (स्टॉक रजिस्टर) पंजिका की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा ₹**972927** कैमरा ट्रेप तथा कम्प्युटर का क्रय टुकड़ों में किया गया (सूची संलग्न) तथा उक्त उपकरणों को क्रय करने के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कोटेशन/निविदा प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि समस्त खरीद ₹3.00 लाख से कम एक अवसर पर की गयी है, इसलिए टेण्डर की आवश्यकता नहीं थी और कोटेशन नियमानुसार प्राप्त कर खरीद की गयी है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार क्रय न करके टुकड़ों में क्रय किया गया है। अतः प्रस्तर को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	फ़र्म का नाम	क्रय की गयी सामग्री का नाम	संख्या	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि	विभाग द्वारा क्रय करने हेतु किया गया टेण्डर/ कोटेशन
1	ए एंड एस क्रिएशन	कैमरा ट्रेप	10	R 342	02.12.2016	180000	
		कैमरा ट्रेप	08	R 343	02.12.2016	144000	
योग			**50**			**324000**	
2	स्टारटेजिक मार्केटिंग	लैपटाप एच पी	06	SM/ 16-17/ P1/ 0069	22.03.2017	216002	कोटेशन
		एच पी पवेलियन नोटबुक	1	SM/ 16-17/ P1/ 0072	22.03.2017	67000	कोटेशन
		टच स्क्रीन कम्प्युटर	1	SM/ 16-17/ P1/ 0071	22.03.2017	124425	कोटेशन
		कम्प्युटर डेस्कटॉप	7	SM/ 16-17/ P1/ 0070	22.03.2017	241500	कोटेशन
योग			**15**			**648927**	
महायोग						**972927**	

भाग-III

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
32/2002-03	01	0

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
32/2002-03	भाग-2 अ प्रस्तर01	प्रस्तुत	निस्तारित किया जा सकता है।	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
170/2015-16	-	01,02
40/2003-04	01	-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
170/2015-16	भाग-2 ब प्रस्तर01 प्रस्तर02	प्रस्तुत प्रस्तुत	यथावत रखा जा सकता है। यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिसर्व प्रभाग, लैन्सडाउन** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः शून्य**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा. कोको रोसे	उप वन संरक्षक
(ii)	डा. धीरज पाण्डेय	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिसर्व प्रभाग, लैन्सडाउन** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

RK 20-09-17

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी